

प्रपक,

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
अम्बेडकरनगर।

सेवा में,

प्रबन्धक,

एस० डी० मदर इंटरनेशनल
स्कूल अन्नापुर रामनगर

पत्रांक./मान्यता/ 9/50-55 /2014-15 दिनांक: 27-8-17

विषय:- नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2009 के नियम 18 के प्रयोजन के लिए नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकारी अधिनियम 2010 के नियम 15 के उपनियम (4) के अधीन अंग्रेजी माध्यम के विद्यालय के लिए मान्यता प्रमाण -पत्र।

महोदय/महोदया,

आपके तारीख 31.08.2017 के आवेदन और इस संबंध में विद्यालय के साथ

पश्चात्पूर्वी पत्राचार/निरीक्षण के प्रति निर्देश से, मैं एस० डी० मदर इंटरनेशनल स्कूल अन्नापुर, रामनगर को तारीख 31.07.2017 से तारीख

31.07.2017 तक तीन वर्ष की अवधि के लिए कक्षा 8 से कक्षा 8 तक के लिए अन्तिम मान्यता प्रदान करने की सूचना देता हूँ।

उपरोक्त मंजूरी निम्नलिखित शर्तों के पूरा किये जाने के अध्वधीन है:-

1. मान्यता की मंजूरी विस्तारणीय नहीं है और उसमें किसी भी रूप से कक्षा 8 के पश्चात मान्यता/संबंधन करने के लिए कोई बाध्यता विवक्षित नहीं है।
2. विद्यालय नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार, अधिनियम, 2009 (उपबन्ध 1) और नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार नियम, 2010 (उपबन्ध 2) के उपबन्धों का पालन करेगा।
3. विद्यालय कक्षा 1 में (या यथार्थि, नर्सरी कक्षा में), उस कक्षा में बालकों की संख्या के 25 प्रतिशत तक आस-पड़ोस के कमजोर वर्गों और भविष्य विहीन बालकों को प्रवेश प्रदान करेगा और उन्हें नि:शुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा, उसके पूरा होने तक उपलब्ध करायेगा।
4. पैरा 03 में निर्दिष्ट बालकों के लिए विद्यालयों के अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (2) के उपबन्धों के अनुसार प्रतिपूरित किया जायेगा। ऐसी प्रतिपूरितियां प्राप्त करने के लिए विद्यालय का एक पृथक बैंक खाता रखेगा।
5. सोसाइटी/विद्यालय किसी कैंपिटेसन शुल्क का संग्रहण नहीं करेगा और किसी बालक या उसका माता-पिता या संरक्षक को किसी स्क्रीनिंग प्रक्रिया के अध्वधीन नहीं करेगा।
6. विद्यालय किसी बालक को, उसकी आयु का सबूत न होने के कारण प्रवेश देने से इन्कार नहीं करेगा। वह अधिनियम की धारा 15 के उपबन्धों का पालन करेगा। विद्यालय निम्नलिखित सुनिश्चित करेगा।

(i) प्रवेश दिये गये किसी भी बालक को विद्यालय में उसकी प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक, किसी कक्षा में फेल नहीं किया जायेगा या उसे विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जायेगा।

(ii) किसी भी बालक को शारीरिक दण्ड या मानसिक उत्पीडन के अध्वधीन नहीं किया जायेगा।

(iii) प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बालक से कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नहीं की जायेगी।

(iv) प्राथमिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बालक को नियम 25 के अधीन अधिकमित किये गये अनुसार एक प्रमाण-पत्र प्रदान किया जायेगा।

(v) अधिनियम के उपबन्ध के अनुसार नि:शक्तता ग्रस्त/विशेष आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाना।

(vi) अध्यापकों की भर्ती अधिनियम के धारा 23 (1) के अधीन यथा अधिकथित न्यूनतम अर्हताओं के साथ की जाती है, परन्तु यह और विद्यमान अध्यापक, जिनके पास इस अधिनियम के प्रारम्भ पर न्यूनतम अर्हताये नहीं है। 05 वर्ष की अवधि के भीतर ऐसी न्यूनतम अर्हताये अर्जित करेंगे।

(vii) अध्यापक अधिनियम की धारा 24 (1) के अधीन विनिर्दिष्ट अपने कर्तव्यों का पालन करता है।

PRINCIPAL
S.D.Mother International School
Annapur-Ambekar Nagar

H:\manyata 2014-15\manyata certificate.doc

MANAGER
S.D.Mother International School
Annapur, Ramnagar-Ambekar Nagar

7. विद्यालय समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिकांश पाठ्यक्रम का पालन करेगा।
8. विद्यालय अधिनियम की धारा 19 में अध्यापिकादिष्ट विद्यालय के मानकों और सनियमों को बनाय रखेगा।
अन्तिम निरीक्षण के समय रिपोर्ट की गई प्रसूचिका निम्नानुसार है-
विद्यालय परिसर का क्षेत्रफल 9590 वर्गमीटर
कुल निर्मित क्षेत्र 1000 वर्गमीटर
क्रीडा-स्थल का क्षेत्रफल 8590 वर्गमीटर
कक्षाओं की संख्या 12
प्राथमिक सह-कार्यालय-सह भाडागार के लिए कक्ष 02
बालक और बालिकाओं के लिए पृथक शौचालय 2
पेय जल की सुविधा 2
मिड डे मील पकाने के लिए रसोई 1
बाधा रहित पहुँच 2
अध्यापन पठन सामग्री/क्रीडा खेलकूद उपस्करों/पुस्तकालय की उपलब्धता 2
9. विद्यालय के परिसरों के भीतर या उसके बाहर विद्यालय के नाम से कोई गैर-मान्यता प्राप्त कक्षाये नहीं चलायी जायेगी।
10. विद्यालय भवनों या अन्य संरचनाओं या क्रीडा-स्थल का प्रयोग केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजनों के लिए किया जाता है।
11. विद्यालय को सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1860 (1860 का 21) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसाइटी द्वारा या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन गठित कसी लोक न्याय द्वारा चलाया जा रहा है।
12. स्कूल को किसी व्यक्ति व्यक्तियों के समूह या संगम या किन्ही अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए नहीं चलाया जा रहा है।
13. विद्यालय के लेखाओं की किसी चार्टर्ड एकाउटेन्ट द्वारा सम्परीक्षा की जानी चाहिए और उसके द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए तथा उचित लेखा विवरण नियमों के अनुसार तैयार किये जाने चाहिए। प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति प्रत्येक वर्ष जिला शिक्षा अधिकारी को भेजी जानी चाहिए।
14. आपके विद्यालय को आवंटित पता कोड संख्याक..... है। कृपया इसे नोट कर लें और इस कार्यालय के साथ किसी पत्राचार के लिए इस संख्याक का उल्लेख करें।
15. विद्यालय ऐसी रिपोर्ट और सूचना प्रस्तुत करता है जो समय-समय पर निर्दिष्ट दिनांक/जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा अपेक्षित हो और समुचित सरकार/स्थानीय प्राधिकारी के अनुदेशों का पालन करता है जो मान्यता संबंधी शर्तों के सतत अनुपालन को सुनिश्चित करेगा या विद्यालय के कार्यकरण की कमियों को दूर करने के लिए जारी किये जायेंगे।
16. सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण के नवीनीकरण यदि कोई हो, को सुनिश्चित किया जाय।

(दल सिंगार यादव)
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
अम्बेडकरनगर।

पूरा 10 व दिनांक उपरोक्त

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवही हेतु प्रेषित।

1. शिक्षा निदेशक, (बेसिक) निशातगंज लखनऊ।
2. सचिव बेसिक शिक्षा परिषद इलाहाबाद।
3. सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक) फैजाबाद मण्डल, फैजाबाद।
4. जिला समाज कल्याण अधिकारी/ जिला अन्य पिछड़ा वर्ग अधिकारी/ जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी/जिला विकलांग कल्याण अधिकारी, अम्बेडकरनगर।
5. संबंधित खण्ड शिक्षा अधिकारी, अम्बेडकरनगर।
6. कार्यालय गार्ड फाइल।


PRINCIPAL

S.D.Mother International School
Annapur-Ambedkar Nagar

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
अम्बेडकरनगर।

कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, अम्बेडकरनगर।

पत्रांक:मान्यता/ 3587

/2018-19 दिनांक 29.6.18

सेवा में,

सचिव,

सी0बी0एस0ई0 नई दिल्ली


विषय:-एस0डी0मदर इण्टर नेशनल स्कूल की स्थाई मान्यता के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अवगत कराना है कि प्रबन्धक एस0डी0मदर इण्टर नेशनल स्कूल अन्नापुर के द्वारा दिनांक 14.06.2018 को दिये गये आवेदन पत्र के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि उक्त विद्यालय प्री-प्राइमरी से कक्षा 8 की अंग्रेजी माध्यम की मान्यता अद्योहस्ताक्षरी कार्यालय के पत्रांक मान्यता/4150-55/2014-15 दिनांक 27.08.2014 से प्राप्त है। मान्यता हेतु निर्गत शासनादेश 419/19-6-2013-18 एस (7)/89 दिनांक 08 मई 2013 के प्रस्तर नम्बर 13 में उल्लिखित है कि "प्रथमतया निर्धारित प्रारूप पर नियमावली में उल्लिखित प्राविधानों के दृष्टिगत औपबन्धिक मान्यता तीन वर्ष के लिए दी जायेगी। इस अवधि में मान्यता की शर्तों के उल्लंघन से सम्बन्धित यदि कोई प्रतिकूल तथ्य संज्ञानित नहीं होता है तो तीन वर्ष की अवधि पूरी होने पर यह मान लिया जायेगा कि विद्यालय को स्थायी मान्यता प्राप्त हो गयी है।"

अस्तु आख्या आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

भवदीय



(अतुल कुमार सिंह)

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
अम्बेडकरनगर।



PRINCIPAL

S.D.Mother International School
Annapur-Ambekar Nagar



MANAGER

S.D.Mother International School
Annapur, Ramnagar-Ambekar Nagar